Annexure XX

दिनांक 31.01.2020 को वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के अध्यक्षता में बी0सी0सी0एल0 के पदाधिकारियों के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति–

1. श्री विमल लकड़ा, भा0व0से0, वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद।
2. श्री राजकुमार, भू–प्रबंधक, पर्यावरण विभाग (मु0), बी0सी0सी0एल0।
3. श्री गौतम कुमार गुलशन, क्षे0प्र0 (भू–सम्पदा), बरोरा क्षेत्र, बी0सी0सी0एल0।
4. श्रीमति मीना कुमारी, पर्यावरण विभाग, बी0सी0सी0एल0।
5. श्री प्रवेश कुमार यादव, पर्यावरण विभाग (बरोरा एरिया), बी0सी0सी0एल0।
6. श्री रंजीत सिंह, भू–सम्पदा विभाग (बरोरा एरिया), बी0सी0सी0एल0।

सर्वप्रथम बैठक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। ततपश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बैठक में उपस्थित बी0सी0सी0एल0 के पदाधिकारियों से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन के तहत लम्बित प्रस्तावों के संबंध में वर्त्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। इस पर बैठक में उपस्थित श्री राजकुमार, भू–प्रबंधक, पर्यावरण विभाग (मु0), बी0सी0सी0एल0 द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा दिये गये सभी निर्देश एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत बी0सी0सी0एल0 के विभिन्न कोलयरियों को दिये गये Stage-I & Stage-II में लगाये गए शर्तो का अनुपालन किया जा रहा है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा सभी पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि कही भी कोयला खनन करने के पूर्व यह आश्वस्त हो ले कि वह वन भूमि है या नहीं। बैठक में उपस्थित श्री प्रवेश कुमार यादव द्वारा बताया गया कि बरोरा एरिया के अन्तर्गत दो प्रस्ताव 29.75 हे0 एवं 16.42 हे0 वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत समर्पित है एवं अनुपालन हेतु बी0सी0सी0एल0 के स्तर पर लम्बित है। उक्त दोनों मामला बरोरा एवं बरमसिया मौजा से संबंधित है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि इस दोनों प्रस्तावों के संबंध में वन विभाग के उच्चाधिकारियों से वार्ता हुई है। उनके द्वारा बताया गया कि दोनों प्रस्तावों को एक ही प्रस्ताव में सम्मलित कर समर्पित करेंगे। वन प्रमंण्डल पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया गया कि पूर्व में समर्पित दोनों प्रस्तावों को वापस कर एक नया समेकित प्रस्ताव बी0सी0सी0एल0 के द्वारा समर्पित किया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि दोनों मौजा में नक्शा पर सीमांकित वन भूमि का रकवा दर्शाये गये (37.36 हे0

Project Officer
Muraidih Colliery

Scanned with OKEN Scanner

बरमसिया एवं 10.12 हे0 बरोरा) में वर्णित रकवा के आधार पर ही प्रस्ताव समर्पित किये जाय। वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि परियोजना क्षेत्र में आने वाले सभी जंगल--झाड़ी भूमि के रकवा को अपयोजित किये जाने वाले वन भूमि के रकवा में शामिल किया जाय।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद द्वारा किए गए अनुरोध पर बी0सी0सी0एल0 के पदाधिकारी द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापांक- 272 दिनांक- 06.02.2020

प्रतिलिपि- महाप्रबंधक (पर्यावरण), बी0सी0सी0एल0/महाप्रबंधक, बरोरा क्षेत्र, बी0सी0सी0एल0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि बैठक में लिये गए निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

05-2-2020
वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
धनबाद।

Project Officer
Muraidih Colliery

Scanned with OKEN Scanner